

17/2/22

पचावली पेशा कुर्डी वकील कदी उपर ह। पचावली
आदेशिका 19/04/2021 से प्रतिवादीगण की तलबी
में लंबित ह। आदेश दिनांक 24/01/2022 को
प्रतिवादीगण की तलबी जरिबे रजि. स.डी. सिबे
जावे हेतु आदेश दिबे जावे पर आ आम्बिक
पावना नहि की गयी ह, जो कि न्यायालय
आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता ह
एवं प्रतिवादीगण की तलबी अभाव में कद
कदी का अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 जा.डी.
के तहत खारिज योग्य ह।

अतः कदी का कद बाकल विभाजन व श्याकी
निवेधाना का तलबी अभाव में आदेश 9
नियम 5 जा.डी. के तहत हतद्वारा खारिज
किया जाता ह। पचावली फौजदारी नुमाद लेख
नंबर से कम लेख कारिल हफतर ह।
विगत नुबले न्यायालय में सुनाया जाकर,
लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय
मुद्रा से जारी किया जाता ह।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

